तस्करी विधेयक के प्रारूप की आलोचना

व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक

आरती पाई, मीना सेश
संग्राम एंड वैम्प द्वारा टिप्पनीयों को संयुक्त किया गया है
अप्रैल 2018

प्रक्रिया

तस्करी विधेयक के प्रारूप पर परामर्श

बैंगलोर

पुणे

मुंबई

दिल्ली

हैदराबाद

अनुभाग 1

सेक्स वर्क क्या है?

सेक्स वर्क क्या है?

- सहमति से यौन सेवा के बदले पैसे या सामान का विनिमय/आदान-प्रदान (अधिकार आंदोलन)
- यौनकर्मी – महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर हैं, जो यौन सेवा के बदले में पैसा या सामान प्राप्त करते हैं और वे सतर्कता से उन कार्यों को आमदनी का जरिया मानते है (WHO)

- अधिकार आंदोलन और यौनकर्मी यह मानते और कहते है कि:
  - सेक्स वर्क श्रम/ कार्य होता है
  - सेक्स वर्क वैध / ग़ैरपराधिक होना चाहिए
  - सेक्स वर्क में कार्यरत लोगों की स्वयं निर्णय एवं स्वसंगठन होना चाहिए

मौजूदा तस्करी विरोधी प्रावधान

अनुभाग 2

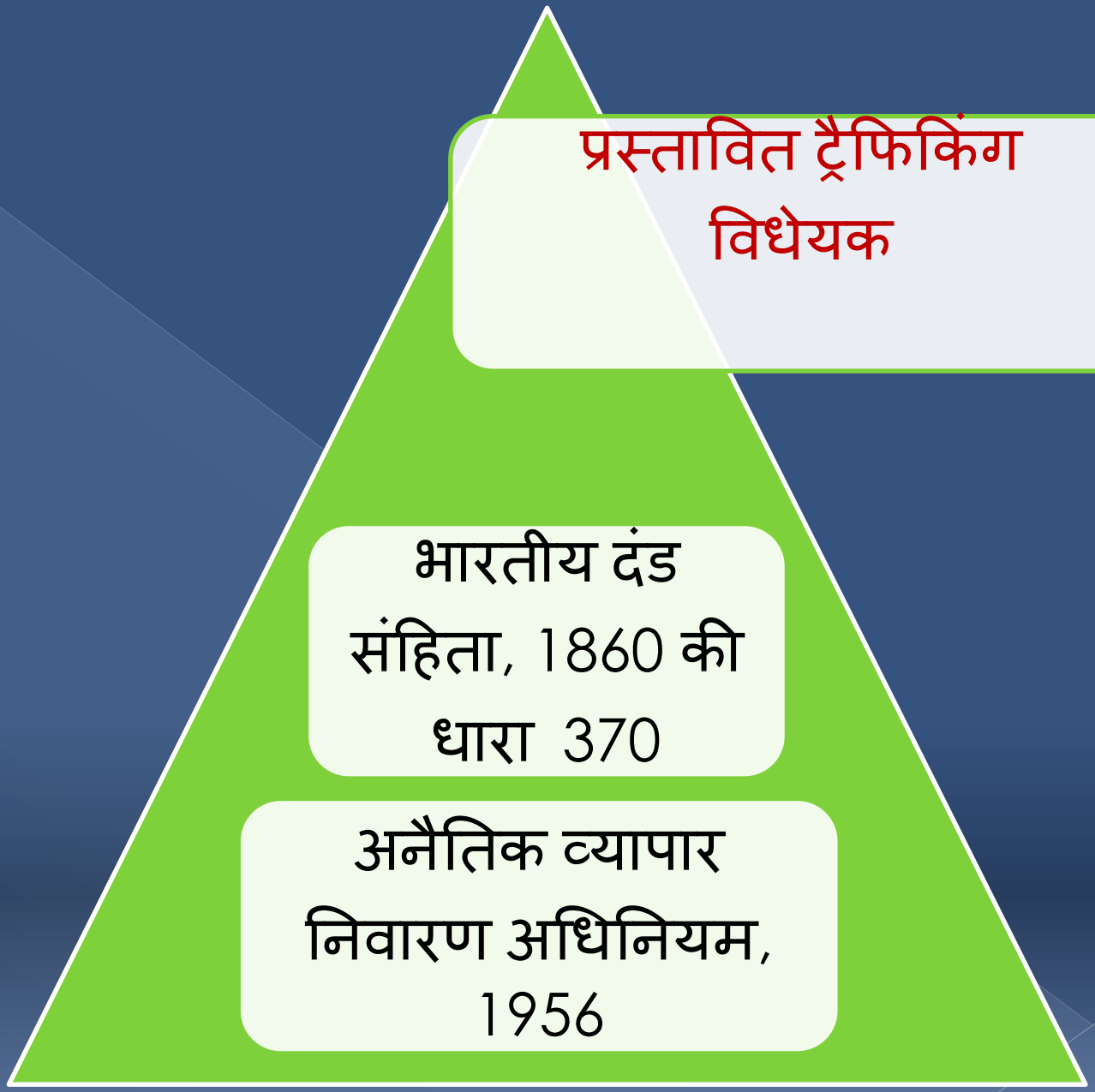
प्रस्तावित ट्रैफिकिंग विधेयक
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (ITPA। / इट्पा)

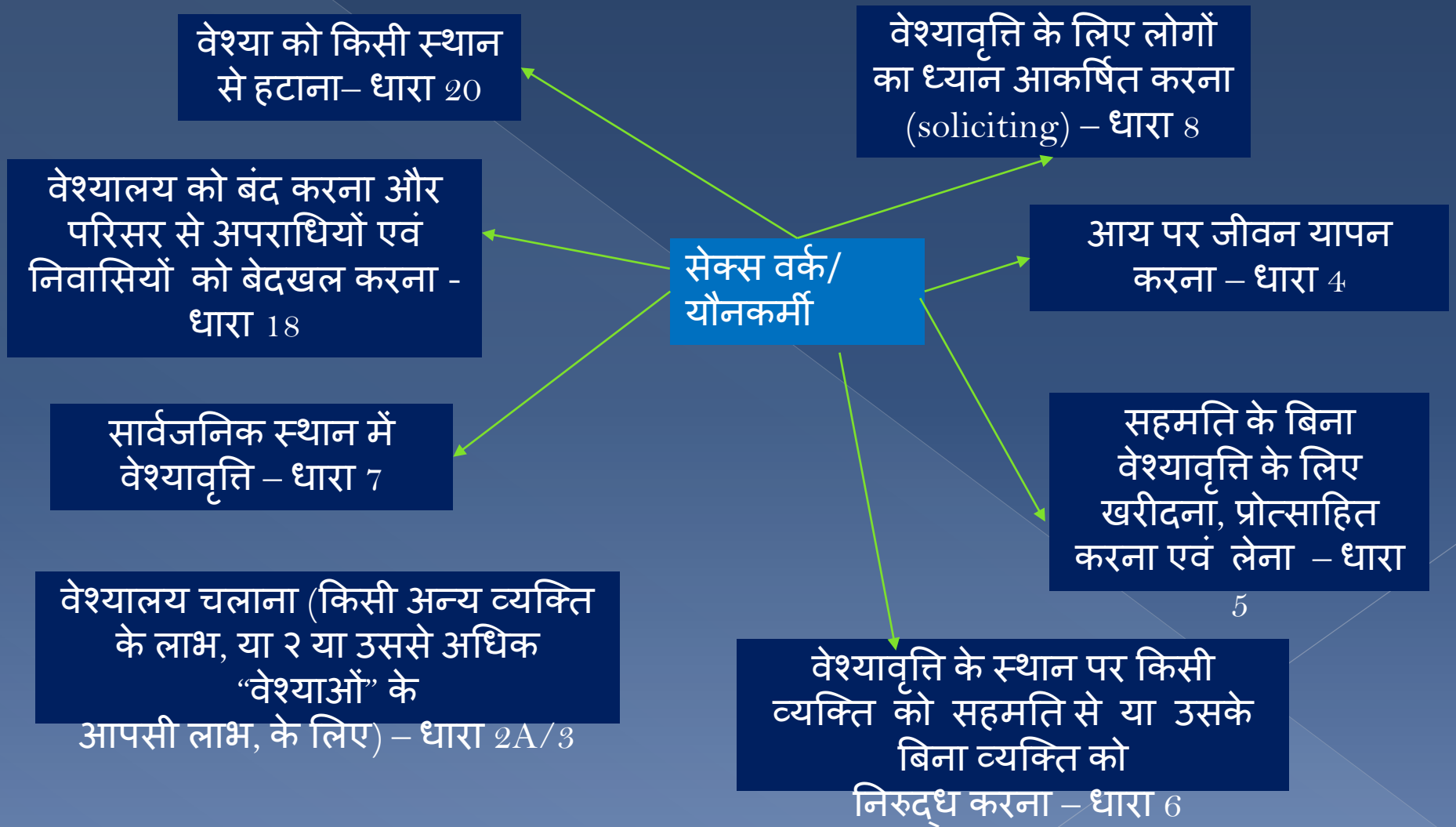

धारा 370 - तस्करी का अपराध

कोई भी जो निम्नलिखत गतिविधि करता है

1. भर्ती करना
2. एक जगह से दुसरे जगह लेकर जाना
3. संश्रय/आश्रय देना
4. स्थानान्तरण
5. अपने पास रखना या ग्रहण करना (रिसीवर)

एक या एक से अधिक व्यक्ति

निम्न जरियों का उपयोग कर के

1. डरा कर/धमकी देकर
2. किसी भी तरह की जबरदस्ती या आपराधिक बल का इस्तेमाल कर के
3. अपहरण कर
4. किसी भी तरह की छल या धोके से
5. अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर
6. प्रलोभन के ज़रिये जिसमें भर्ती/स्थानांतरित/प्राप्त किए गए व्यक्ति कि सहमति लेने के लिए किसी भी व्यक्ति से लिए गए या उसको दिए गए भुगतान व लाभ भी शामिल हैं

शोषण के उद्देश्य से

1. किसी भी तरह की शारीरिक प्रताड़ना
2. किसी भी तरह का यौन शोषण
3. गुलामी या गुलामी जैसा कोई भी कार्य करना
4. दास्ता
5. जबरदस्ती शारीरिक/आंतरिक अंग का निकाला जाना

तस्करी का अपराध करता है

तस्करी करने की सज़ा

तस्करी के लिए सजा	7 साल से 10 साल तक, जुर्माना
एक से ज्यादा लोगों की तस्करी	10 साल से आजीवन तक, जुरमाना
नाबालिग	10 साल कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक, जुरमाना
१ नाबालिग से ज्यादा कि तस्करी	14 साल कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक, जुरमाना
एक से ज्यादा अवसर पर नाबालिग की तस्करी	आजीवन कारावास, प्राकृतिक मृत्यु तक
लोक सेवक एवं पुलिस अधिकारी कि तस्करी में संलिप्तता	आजीवन कारावास

व्यक्तियों का यौन शोषण– धारा 370 A(2)

- कोई भी जो यह जानता है या किसी विश्वसनीय कारण से यह मानता है कि किसी व्यक्ति की तस्करी हुई है
- किसी भी तरीके से उस व्यक्ति का यौन शोषण के लिए व्यक्ति का उपयोग करता है
- 3 से 5 साल का कठोर कारावास, जुर्माना

प्रभाव: यौनकर्मी समूह द्वारा जारी रिपोर्ट के आनूसार पूरे देश के यौनकर्मियों के ग्राहकों पर क्रैकडाउन

सेक्स वर्क ≠ तस्करी

राष्ट्रीय व अंतरष्ट्रिय स्थर पर बदलती शब्दावली

- संशोधित धारा 370 की व्याख्या इस प्रकार नही की जानी चाहिए कि क़ानून लागू करने वाली संस्थाओं के पास उन यौनकर्मियों या उनके ग्राहकों को प्रताड़ित करने की अनुमति है जोकि सवेक्षा से गतिविधि कर रहे हैं [धारा 370, भारतीय दंड संहिता, के पीछे इरादे पर न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण, 8 फरवरी, २०१३]

- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956, जो सेक्स वर्क का अपराधीकरण करता है, उसकी समीक्षा इस प्रकार की जाए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव तस्करी जूझने के क़दम यौनकर्मियों के मानवाधिकारों के संरक्षण संरक्षण को अनदेखा ना कारदें [महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विशेष संवाददाता, संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट, 2014]

- आईएलओ (ILO) ने सिफारिश की है कि सेक्स वर्क को व्यवसाय के रूप में पहचाना/माना जाए, जिससे यौनकर्मियों और ग्राहकों का की रक्षा कि जा सकें। [HIV और श्रम की दुनिया, 2000, 2010 के बारे में सिफारिश]

- सुनिश्चित करें की तस्करी विरोधी क़ानून केवल उनको सज़ा दें जोकि ज़बरन, बेनामी से या आपराधिक बल का उपयोग कर लोगों को प्राप्त कर व्यवसायिक यौन कृत डालते हैं या प्रवासी यौनकर्मियों का ऋण बंधन, हिंसा, स्वतंत्रता से वंचित रख दुरुपयोग करते हैं। तस्करी विरोधी क़ानून यौन शोषण को निषेध करने में इस्तमाल होने चाहिए नाकि वयस्क व्यक्तियों के ख़िलाफ़ जोकि सहमति से सेक्स वर्क में हैं। [HIV और क़ानून पर वैश्विक आयोग, 2012]

अनुभाग ३

प्रारूप तस्करी विधेयक

तस्करी बिल का ख़ाका

15 अध्यायों में 59 प्रावधानों में बनाया गया है

१. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर जांच प्राधिकारियों की स्थापना
२. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर राहत और पुनर्वास प्राधिकारियों की स्थापना
३. खोज, बचाव और बचाव के उपरान्त से संबंधित प्रावधान
४. राज्य और जिला स्तर पर निवारण के लिए उपाय किये जाएँगे
५. पीड़ितों का संरक्षण और पुनर्वास
६. देश/मूल राज्य में पुनर्स्थापना
७. राहत और मुआवजे, संपत्ति को जब्त करना और कुरकि करना, पुनर्वास कोष
८. अपराध और दंड
९. नामित न्यायालय
१०. पीड़ितों, गवाहों व शिकायतकर्ताओं का संरक्षण
११. अन्य विविध प्रावधान – गैर बाधा क्लोज़ (Non Obstante Clause)

तस्करी कानून को लागू करने के लिए 10 नए एजेंसियां/प्राधिकारियों का निर्माण

जांच पड़ताल, निगरानी, प्रवर्तन

1. राष्ट्रीय तस्करी-विरोधी ब्यूरो
2. राज्य नोडल अधिकारी
3. राज्य पलीस नोडल अधिकारी
4. जिला पुलिस नोडल अधिकारी
5. तस्करी-विरोधी पुलिस अधिकारी (जिला)
6. तस्करी-विरोधी इकाई (जिला)

राहत और पुनर्वास

1. राष्ट्रीय तस्करी-विरोधी राहत और पुनर्वास समिति
2. राज्य तस्करी-विरोधी समिति
3. जिला तस्करी-विरोधी समिति

नामित अदालतें - ज़िला
अंतिम निर्णय पर अपील - उच्च न्यायालयों के पास

गंभीर अपराधों का निर्माण:

1. निम्न उद्देश्यों के लिए तस्करी:
   - जबरन श्रम, बंधुआ मज़दूरी
   - बच्चा जन्ने के लिए (प्रकृतिक रूप से या ART के माध्यम से)
   - **<u>विवाह / शादी के बहाने से</u>**
   - भीख मंगवाना

2. तस्करी के लिए/ शोषणकारी स्थिति में रखने के लिए नशीली दवाओं या मनोविज्ञान पदार्थ या शराब का प्रयोग करना
3. प्रारंभिक परिपक्वता के लिए रासायनिक पदार्थ या हार्मोन का प्रयोग करना
4. तस्करी के परिणाम स्वरूप गंभीर चोट / मौत
5. गर्भवती महिला का तस्करी या तस्करी के परिणामस्वरूप गर्भवती हो जाना
6. किसी व्यक्ति को एचआईवी (HIV) या अन्य जीवन लेने वाली बीमारियों के संपर्क में लाना
7. उन व्यक्तियों की तस्करी जो मानसिक रूप से बीमार है
8. अवैध रूप से भारत में या भारत से बाहर पलायन करने के लिए उकसाना / प्रोत्साहन

अन्य अपराध

1. तस्करी की जगह के रूप में "इस्तेमाल किये जाने वाली" जगहों का रख-रखाव / उनके रख-रखाव में / परिसर का प्रबंधन में सहायता
2. जगह का उद्देशित उपयोग शोषण है
3. आयोजन में सुविधा प्रदान करना:
    1. उत्पादन, मुद्रण, प्रमाण पत्र / स्टिकर का वितरण कर
    2. किसी भी माध्यम से विज्ञापन, प्रकाशन, प्रिंटिंग, प्रसारण करना जो किसी भी तरह से तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण में योगदान देता है या तस्करी को बढ़ावा दे कर
    3. मंज़ूरी के अधिग्रहण प्राप्त करने में सुविधा देना (clearance)
4. कर्तव्यों से चूकना
5. राशि के लिए खरीद / बिक्री
6. इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध / प्रचार, अश्लील तस्वीरें या वीडियो लेना या वितरित करना, सामेग्री प्रदान करना, आग्रह करना, पर्यटकों या गाइड को समझाना
7. एक व्यक्ति को निपटना, भर्ती करना, कब्जा प्राप्त करना, किराए पर देना,
8. यौन शोषण की घटनाओं का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक / मुद्रित रूप के माध्यम में वितरण करना

मौजूदा कानून / प्रावधान

धारा 370 – तस्करी का अपराध

नाबालिग

- धारा 372-373, भारतीय दंड संहिता- वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद और बिक्री
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 - सेक्स वर्क, कोठों का अपराधीकरण / निर्धारित तीसरे पक्ष, हमलावर और बचाव मॉडल'

बच्चे

- किशोर न्याय अदिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - गुमशुदा बच्चे / तस्करी होने की अत्यधिक चपेट में ।

अश्लील एवं अभद्र सामग्री:

- महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण

मौजूदा कानून/प्रावधान

काम / श्रम के नज़रिए से

- भारतीय दंड संहिता: धारा 374: श्रम के लिए मजबूर करना
- बच्चे (श्रम की शपथ) अधिनियम, 1933, तथा बाल श्रम (विनियमन और निषेध) अधिनियम, 1986 - जबरन श्रम, बाल श्रम
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (बंधुआ श्रम अधिनियम)
- अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979

अनुभाग ४

महत्वपूर्ण चिंताए

1. सेक्स श्रमिकों के लिए विशिष्ट चिंताए

- व्यस्क सहमति देने वाले यौनकर्मियों और उनके ग्राहकों को प्रस्तावित कानून के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाना चाहिए एवं यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए.
- छापा, बचाव, पुनर्वास - और यौन श्रमिकों पर इसका प्रभाव - स्वास्थ्य (विशेष रूप से ऐचआईवी (HIV) से ग्रसित महिलायों के लिए दवाए), परिवार और आजीविका में विघटन
- जबरन पुनर्वास - बचाव के उपरांत – परिणाम स्वरुप कर्ज में वृद्धि
- एचआईवी से ग्रसित होना, पुनर्वास घरों से यौन श्रमिकों को रिहा करने से इनकार करने का आधार बन जाती है।
- धारा 370 A(2) के तहत यौन श्रमिकों के ग्राहकों की गिरफ्तारी एवं ग्राहकों की उत्पीड़न की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है।
- डीएटीसी (DATC) / एसएटीसी (SATC) में सेक्स श्रमिकों के संगठनों की भागीदारी

२. जिला तस्करी विरोधी समिति / राज्य नोडल अधिकारियों की शक्तियां

.14 जिला तस्करी विरोधी समिति के पास पीड़ितों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करने का अंतिम अधिकार होगा ...

26. (1) जिला तस्करी विरोधी समिति या बाल कल्याण समिति पीड़ितों के पुनर्स्थापन के लिए जिम्मेदार होगा ...

राज्य नोडल अधिकारी पीड़ित के पनर्स्थापना के उद्देश्यों के लिए सूचित व लिखित सहमति पीडिता से प्रोप्त करेगा, और जहा आवश्यक हो, प्रशिक्षित मनो-सामाजिक पेशेवरों द्वारा पीड़ित की परामर्श के लिए व्यवस्था करेगा।

पीड़ितों का अंतर राज्य पुनर्स्थापन तीन महीने के भीतर, और देश के सीमा के बाहर का पुनर्स्थापन छह महीने के भीतर पूरा किया जायेगा, बचाव के दिन से जिला तस्करी विरोधी समिति, या बाल कल्याण समिति, या राज्य पुलिस नोडल द्वारा

24. (3) पीड़ित या ऐसे अन्य व्यक्ति के पनर्वास के संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले मजिस्ट्रेट जिला तस्करी विरोधी समिति से विमर्श करेगा

3. देश-प्रत्यावर्तन/पुनर्स्थापन

- न केवल देश के सीमा के बाहर से पुनर्स्थापन/प्रत्यावर्तन बल्कि मूल राज्य में भी
- संविधान द्वारा दी गई देश के भीतर घुमने-फिरने की स्वतंत्रता
- अक्सर व्यक्तियों का घूमना-फिरना महत्वाकांक्षी होता है - बेहतर जीवन / आजीविका के अवसरों की लिए
- पुनर्स्थापन के लिए व्यक्ति की सहमति ज़रूरी है या नहीं?
- क्या पुनर्स्थापन के आदेश के खिलाफ अपील किया जा सकता है?
- धारा 13(3)(iv) बंधुआ श्रम पीड़ितों के अंतर-राज्य पुनर्स्थापन की सुविधा। बंधुआ मजदूर अधिनियम दृष्टिकोण के साथ संघर्ष?

4. वयस्क की सहमति और एजेंसी?

- धारा 17 के लिए प्रावधान

बशर्ते कि यदि पीड़ित या किसी भी व्यक्ति जिसको बचाया गया है बच्चा नहीं है और वह स्वेच्छा से अपनी रिहाई के लिए हलफनामे (affidavit) द्वारा समर्थित आवेदन करता है और यदि मजिस्ट्रेट को मानना है कि इस तरह के आवेदन को स्वेच्छा से नहीं बनाया गया है, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में देना होगा

आरोप नहीं लगाए गए व्यक्तियों की सहमति को नकारता है

५. बचाव निरंतरता की तुलना

प्रस्तावित विधान

छापा

बचाव –
बचाव घर

१.पुनर्वास
२.देश के सीमा के बाहर पुनर्स्थापन

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम

बंधे ऋण चुकाने की बाध्यता नही रही

मुक्त बंधुआ श्रमिक की संपत्ति बंधक से मुक्त

मुक्त बंधुआ श्रमिक को रियासत से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए/रियासत कि प्रतिस्थापन या मरम्मत

मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है आर्थिक हितों की रक्षा करना

लेनदार बुझे हुए कर्ज (extinguished debt) के लिए भुगतान स्वीकार न करें

तस्करी/शोषण की जगह

- कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान का उपयोग तस्करी के लिए करता है... धारा 34(1)]

तस्करी और शोषण की जगह को अलग-अलग परिभाषित किया गया है:

- जो भी किरायेदार होता है या उपयोग करता है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति देता है... तस्करी की जगहें के रूप में ... [धारा 34(2)(i)]
- मालिक, किरायेदार ... जो "जानकारी के साथ" जगह देता है शोषण के इस्तेमाल के लिए

धारा 34(2) की व्याख्या:

- अभियुक्त पर भार है यह साबित करने के की, कि उसे शोषण की जगह के रूप में उपयोग का कोई जानकारी नहीं थी
- कुछ परिभाषाओं को एक दुसरे के स्थान में एक ही चीज़ समझाने के लिए उपयोग किया जाता है– धारा 34(1) में शोषण के स्थान एवं धारा 34(2) में तस्करी का स्थान
- क्या प्रावधान उन सभी रिक्त स्थानों के खिलाफ उपयोग किए जाएंगे जहां शोषणकारी प्रथाएं हैं? कारखाने / खदान / क्लीनिक / अस्पताल / घर

5. शोषण और निष्कासन

35. (1)... मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा किसी से जानकारी प्राप्त करने पर कि किसी भी जगह या उसके किसी भी हिस्से का इस्तेमाल व्यक्तियों की तस्करी के उददेश्य से किया जा रहा है, नोटिस जारी करें ... जानकारी प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर कारण दिखाना कि क्यों उसे सील नहीं किया जाना चाहिए ... मजिस्ट्रेट एक आदेश दे सकता है-

(i) आदेश देने के सात दिनों के भीतर, ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को उस जगह से बेदखल किया जायेगा;

- निष्कासन पर यौन श्रमिकों का अनुभव - अक्सर यौन श्रमिकों के परिवारों का भी निष्कासन किया जाता है
- बंधुआ श्रम अधिनियम स्पष्ट रूप से घर या परिवार के निष्कासन को प्रतिबंधित करता है

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन

धारा 36: एक व्यक्ति तस्करी के कृत्य को बढ़ावा देने, खरीदने या सुविधा देने के लिए कहा जाता है, अगर वह व्यक्ति-

(ii) विज्ञापन, प्रकाशन, प्रिंट, प्रसारण या वितरण, या किसी भी माध्यम से विज्ञापन, प्रकाशन, प्रिंटिंग, प्रसारण या वितरण का कारण बनता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी या कोई भी ब्रोशर, फ्लायर या किसी भी प्रचार सामग्री की उपयोग शामिल है जो व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देता है या किसी भी तरह से तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण करता है;

- कौनसे गतिविधि तस्करी प्रचार का समर्थन करेंगे?
- यह शब्द वयस्क वेबसाइटों/सामग्री पर कैसे प्रभाव डालता है/प्रभावित करता है?
- कौन सी सामग्री तस्करी और शोषण को बढ़ावा देते हुए माना जायेगा?
- क्या इंटरनेट साइट को तस्करी के कृत्य को सुविधाजनक बनाने के लिए चार्ज किया जाएगा?

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन

धारा 39: किसी भी व्यक्ति को ख़रीदना या बेचना

(2) कोई भी व्युक्ति किसी भी व्यक्ति के तस्करी का कारण बनता है, जब कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप से आग्रह करता है या सार्वजनिक रूप से प्रचार करता है, अश्लील तस्वीरों या वीड़ियो लेता या वितरित करता है या सामग्री प्रदान करता है या सलाह देता है या पर्यटकों का मार्गदर्शन करता है या एजेंट या किसी अन्य रूप का उपयोग करता है, उसे दंडित किया जाएगा ...

प्रावधान तस्करी के इरादे या परिणाम को केवल नही देखता, बल्कि तस्करी के संभावना को भी देखता है। यह मुद्दा जो वास्तविक या यहां तक कि संभावित कारणों को अनदेखा करती है, आपराधिक कानून को अनदेखा कर देता है जो कि इरादा और गतिविधि दोनों को देखता है. प्रावधान का यह विस्तृत दायरा इसे गलत इस्तमाल के लिए प्रवृत्त करता है.

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन

धारा 41: मीडिया से संबंधित अपराध

41. (1) जो कोई भी मीडिया की सहायता से किसी व्यक्ति की तस्करी करता है, जिसमें प्रिंट, इंटरनेट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अन्य मीडिया भी है, उसे दंडित किया जाएगा ...

(2) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित रूप में या किसी और रूप में यौन शोषण, यौन हमला, या बलात्कार के कारण या पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों का शोषण या गैरकानूनी फायदे के लिए बलात्कार की घटनाओं को दिखाते हुए किसी भी रूप में वीडियोस, फोटोज इत्यादि का वितरण, बेचना या स्टोर करना दंडित किया जाएगा

तीसरे पक्ष के मध्यस्थों के लिए सुरक्षा प्रावधान, एवं छूट का दावा करने के लिए उचित परिश्रम प्रावधान - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, धारा 79 बनाम धारा 41(2)

स्वराज पाल बरुआ द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के लिए आलोचना और टिप्पणियाँ: "A Look At Two Problematic Provisions of the Draft Trafficking Bill"- The Centre for Internet and Society

7. जमानत के अधिकार का उल्लंघन

संज्ञेय और गैर जमानती अपराध:

अपराधिक प्रक्रिया संहिता: धारा 438 निम्न के लिए लागू नही किया जायेगा:

"व्यक्ति पर दो साल से अधिक की कारावास के साथ अपराध करने का आरोप लगाया गया है।"

आरोपी को जमानत / अपने बांड पर रिहा नहीं किया जायेगा जब तक -

...अदालत संतुष्ट नही हो जाता कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पाने पर कोई अपराध करने की संभावना नहीं रखता...

8. अन्य चिंताएं

- प्रवृत्त आबादी का अपराधीकरण
- बैंक खातों पर रोक लगाना
- अच्छे इरादे से किए गए कार्य की सुरक्षा बनाम जवाबदेही
- विशेष घरों / सुरक्षा घरों के लिए लाइसेंस
- आश्रय घरों की हालत – गलत इस्तेमाल / जवाबदेही?